

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

राज कुमारी देवी

वनाम

नागो सदा वगै०

वाद संख्या-25/2013-14

दि० 26-12-2013 दि० 28-3-14
के द्वारा गोलमा सिंगर
17-4-14
प्र० सी०

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गोलमा थाना तिलकेश्वर ओ० पी० जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चोहद्दी
172	462	11 कड्डा	उ०-नारायण पोद्दार
		2 धुर	द०-गंगा प्र० सिंह
			पु०-निज विक्रेता
			प०-गंगा प्र० सिंह

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि संदर्भित वाद कु० स्थान पूर्वी अंचल तिलकेश्वर ओ० पी० के मौजा गोलमा खाता 172 खेसरा नं० 462 पु० रकवा 7 कड्डा आवेदिका के पति राजेन्द्र राय के नाम से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है तथा केवाला के दिन तारीख से आवेदिका के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है तथा अद्यतन राजस्व अदायकर राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। वादी के पति के नाम केवाला की भूमि में मकई का फसल लगा है जिसे विपक्षी अपने आपराधिक प्रवृत्ति से खेत में लगे फसल को हड़पने की धमकी देते हैं

जिससे वादी के सपरिवार के समक्ष निबंधित केवाला से वेदखली की प्रवल संभावना बनी हुई है। विवादित भूमि का हाल खतियान अनावाद सर्व साधारण के नाम से दर्ज हो गया है जिस पर वादी द्वारा जानकारी के अभाव में आपत्ति दायर नहीं की गयी है।


दूसरी तरफ विपक्षीगण 01-11 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पूर्वजो के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नहीं है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का अवासीय मकानमय सहन के रूप में शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहाँ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। वादी अपने वाद पत्र में जो खतियान की प्रति संलग्न किया है उससे स्पष्ट होगा कि नदी भरण बाँध परती वगै० है जिस भूमि को कय विक्रय को कोई औचित्य नहीं है तो किस आधार पर वादी केवाला का दावा करते है वही दुसरी ओर पर्चाधारी के नाम उक्त भूमि का जमाबंदी चल रही है तो एक ही भूमि का वादी को भी जमाबंदी होना बिल्कुल जाल फरेबी है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद पत्र में वर्णित पुराना खेसरा 462 पर अधिकार के प्रख्यापन की माँग की गई है। वादिनी का कहना है कि प्रशगनत भूमि आवेदिका के पति को केवाला से प्राप्त है। वादिनी द्वारा केवाला की प्रति संलग्न की गई है। वादिनी अपने वाद पत्र के माध्यम से कहती है कि हाल खतियान अनावाद सर्व साधारण बन गया। यदापि हाल खतियान की प्रति संलग्न नहीं की गई है एवं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुराना खेसरा 462 से कौन सा नया खेसरा बना है। केवाला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा वादिनी के पति को दिनांक 19.09.91 को केवाला किया गया जबकि हाल खतियान उससे पूर्व ही बना था यानि निबंधन की तिथि को

प्रश्नगत भूमि अनावारु सर्ब साधारण की रही होगी जबकि दिनांक 16.09.91 को विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का केवाला वादिनी के पति के नाम से किया गया। बिहार सरकार या सर्ब साधारण की भूमि को किसी रैयत द्वारा केवाला किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादिनी के दावा को खारिज किया जाता है। दुसरे तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनलोगो को बन्दोबस्ती पर्चा मिला है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद संख्या-22/13-14 में अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी द्वारा संलग्न पर्चा आवंटन संबंधी अभिलेख एवं पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है एवं जिसका कुल रकवा 37 एकड़ है। नया खेसरा 521 के कुल रकवा 37 एकड़ में से 2 एकड़ 40 डि0 पर 80 भूमिहीनो को बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है जिसका पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459 एवं 460 है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणो को यदि पर्चा निर्गत है तो वह प्रश्नगत भूमि (पुराना खेसरा 462) पर नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का दावा भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वर्तमान परिस्थिति में साक्ष्यो के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनो के दावा को खारिज किया जाता है एवं हाल खतियान के अनुसार अनावारु बिहार सरकार का दावा मान्य होगा।


उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित


26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल


26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल